सं. 57/04/2019-पी&पीडब्ल्यू(बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 जून, 2020

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 17.02.2020 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत कवरेज - स्पष्टीकरण के संबंध में

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 17 फरवरी, 2020 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे सभी मामलों में जहां दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष, भर्ती के लिए परिणाम दिनांक 01.01.2004 से पूर्व घोषित किए गए थे, भर्ती के लिए सफल घोषित उम्मीदवार केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत कवर किए जाने के पात्र होंगे। तदनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें दिनांक 01.01.2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था, और दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में कार्यग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया है, उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत कवर किए जाने के लिए **एक बार का विकल्प** दिया जा सकता है।

2. इस विभाग में उपर्युक्त निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ परिस्थितियों में स्पष्टीकरण मांगने के लिए संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस विभाग में विभिन्न विभागों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की गई और स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जाती है:

क्र सं	उठाया गया मुद्दा	स्पष्टीकरण
1.	एक सरकारी कर्मचारी दिनांक 01.01.2004 से पूर्व की रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 01.01.2004 से पूर्व घोषित परिणामों के आधार पर दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद केन्द्र सरकार के विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करता है और उसके बाद तकनीकी त्यागपत्र देने के पश्चात उचित अनुमति के साथ किसी अन्य केन्द्र सरकार विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करता है। क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए विकल्प पर दिनांक 17.02.2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार विचार किया जा सकता है	ऐसा सरकारी कर्मचारी भी दिनांक 17.2.2020 के का॰ज्ञा॰ के तहत विकल्प का चयन करने का पात्र है। विकल्प के चयन पर निर्णय विभाग/कार्यालय में उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा, जिसके लिए सरकारी कर्मचारी ऐसे विकल्प का चयन करता है। यदि सरकारी कर्मचारी ने अपने नए विभाग/कार्यालय में अपना विकल्प प्रस्तुत किया है, तो विभाग/कार्यालय उचित निर्णय लेने के लिए संबंधित विभाग/कार्यालय को विकल्प अग्रेषित करेगा। संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा लिए गए निर्णय को उसके नए विभाग को संसूचित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, इस विभाग के दिनांक 26.07.2005 और 28.10.2009 के का॰ज्ञा॰सं 28/30/2004-पी&पीडब्ल्यू(बी) में निहित कार्यक्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित निर्देश

	और यदि हाँ, तो ऐसे विकल्प पर किस विभाग/कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।	भी लागू होगा और पेंशन/उपदान के लिए पिछली सेवा की गणना हेतु आगे की कार्रवाई केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अनुसार नए विभाग/कार्यालय द्वारा की जाएगी।
2.	क्या दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य द्वारा दिये गए विकल्प पर विचार किया जा सकता है।	यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो दिनांक 17.02.2020 के का॰ज्ञा॰ के संदर्भ में विकल्प देने का अन्यथा पात्र था और उसकी मृत्यु हो गई हो, तो उसके परिवार का सदस्य जो पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकासी और प्रत्याहरण) विनियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर एनपीएस लाभ प्राप्त करने का पात्र है, द्वारा दिए गए विकल्प को इस विभाग के दिनांक 17.02.2020 के का॰ज्ञा॰ में निहित निर्देशों के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है और संसाधित किया जा सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी ने अपनी मृत्यु से पूर्व, तकनीकी त्यागपत्र देने के पश्चात उचित अनुमति के साथ किसी अन्य केंद्र सरकार विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण किया हो, तो ऐसे नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को उपरोक्त स्पष्टीकरण संख्या (1) के अनुसार संसाधित किया जा सकता है।
3॰	स्पष्टीकरण सं (2) द्वारा कवर किए गए मामलों में, दिनांक 05.05.2009 के का॰ज्ञा॰सं 38/41/06/पी&पीडब्ल्यू(ए) के अनुसार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके एनपीएस खातों में कोष की राशि, जो सरकार को हस्तांतरित की गई थी, कैसे समायोजित की जाएगी।	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर एनपीएस खाते में कोष की राशि, जो सरकार को हस्तांतरित की गई थी, को इस विभाग के दिनांक 17.02.2020 के का॰ज्ञा॰ के पैरा 9 में दर्शायी गई रीति से समायोजित किया जाएगा, इस संशोधन के साथ कि समय-समय पर जीपीएफ पर लागू दरों पर संगणित अद्यतित ब्याज सहित एनपीएस खाते में कर्मचारी के अंशदान का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके पक्ष में एनपीएस राशि को प्राप्त करने के लिए पीएफआरडीए द्वारा अधिसूचित विनियमों के तहत सरकारी कर्मचारी द्वारा नामांकन प्रस्तुत किया गया था।
4.	क्या दिनांक 17.02.2020 के का॰ज्ञा॰ में निहित निर्देश ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू होंगे जिन्होंने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होने पर दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात कार्यग्रहण किया था। यदि हाँ, तो दिनांक 17.02.2020 के का॰ज्ञा॰ के तहत ऐसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा विकल्प का प्रयोग कर सकने की पात्रता का निर्धारण कैसे किया जाएगा।	ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होने पर दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात कार्यग्रहण किया था, दिनांक 17.02.2020 के का॰ज्ञा॰ के संदर्भ में विकल्प का प्रयोग करने का पात्र होगा, यदि स्क्रीनिंग/चयन समिति की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी ने सरकारी कर्मचारी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय दिनांक 01.01.2004 से पूर्व लिया था।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन स्पष्टीकरणों की विषयवस्तु को अपने नियंत्रणाधीन लेखा नियंत्रक/वेतन और लेखा अधिकारियों, संलग्न कार्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों के संज्ञान में लाएं।

(एस चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
4. रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली, सूचनार्थ।
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. लेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, आईएनए, नई दिल्ली।
8. एन.आई.सी, इस विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए।